प्रश्न-''आज के बदलते हुए राजनीतिक परिप्रेक्ष्य में लोकसभा और राज्यसभा में गतिरोध की स्थिति देखी जा रही है, जिसके कारण महत्वपूर्ण विधेयकों और संविधान संशोधनों के पारित होने में विलम्ब होता है।'' इस कथन के आलोक में बतायें कि राज्यसभा क्यों अप्रासंगिक होती जा रही है?

(250 शब्द)

"In today's changing political scenario, a situation of deadlock can be seen between Lok Sabha and Rajya Sabha, which is causing delay in the passage of important bills and constitutional amendments". In the light of this statement explain why the Rajya Sabha is becoming irrelevant.

(250 Words)

मॉडल उत्तर

- राज्यसभा की भूमिका को स्पष्ट करें (20 शब्दों में)
- अगले पैरा में बताएं कि लोकसभा व राज्यसभा में गतिरोध क्यों देखा गया है?
- फिर अगले पैरा में बताएं कि राज्यसभा क्यों अप्रासंगिक होती जा रही हैं? साथ में सुझावों को बताएं।
- अंत में संक्षिप्त निष्कर्ष दें।

हाल ही के दिनों में देखे गए विभिन्न विधेयकों, जो लोकसभा में तो पारित हो जाते हैं, परन्तु राज्यसभा में उन्हें पारित होने नहीं दिया जाता था। इसका मुख्य कारण लोकसभा और राज्यसभा में अलग-अलग राजनीतिक पार्टियों का बहुमत होना है। उदाहरण के लिये जीएसटी विधेयक।

कानून निर्माण के लिए इन दोनों सदनों में सामंजस्य जरूरी है, परन्तु हाल के परिवेश में दोनों सदनों में निरंतर गतिरोध देखा जा रहा है।

⇨ **राज्यसभा क्यों अप्रासंगिक है?**

- राज्यसभा को संविधान निर्माताओं ने योग्य व्यक्तियों के सदन के रूप में स्थापित किया था, लेकिन वर्तमान समय में आम चुनाव में पराजित नेताओं को स्थायी सदन में भेजा जा रहा है।
- भारत जैसे विकासशील देश में राज्यसभा सरकारी खर्च को बढ़ाती है।
- वर्तमान में इसका स्वरूप खतरे में है-
  - राज्यसभा में सांसदों का आचरण दलीय राजनीति पर आधारित होता है।
  - राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य का निवासी होने की योग्यता समाप्त कर दी गई है (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम, 1951)
- वर्तमान समय में जब लोक सभा और राज्यसभा में अलग-अलग दलों की स्थिति मजबूत है तो दलीय आधार में राज्यसभा का संचालन होने के कारण राज्यसभा महत्वपूर्ण संविधान संशोधन और विधि निर्माण में बाधक बनती जा रही है।

⇨ **सुझाव/सुधार-**

- लोकसभा के चुनाव में पराजित व्यक्ति को एक निश्चित समय तक राज्यसभा का चुनाव लड़ने पर रोक लगा देनी चाहिए।
- राज्यसभा का सदस्य बनने के लिए उस राज्य का निवासी होने की शर्त फिर से लागू करनी चाहिए।
- राज्यसभा में वही (योग्य) व्यक्तियों का मनोनयन हो सके जिनके लिए मनोनयन से संबंधित स्पष्ट दिशा निर्देश जारी करना चाहिए।

अंत में संक्षिप्त, संतुलित व सारगर्भित निष्कर्ष दें।

नोट:- प्रश्नानुसार उत्तर के सभी बिन्दुओं को समाहित किया गया है, निर्धारित शब्द सीमा में व्यवस्थित कर विश्लेषण कर सकते है।